56/c

ACCOUNTS

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 421] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 7, 2006/भाद्र 16, 1928

No. 421] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 7, 2006/BHADRA 16, 1928

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(कार्मिक शाखा-1)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2006

सा.का.नि. 538(अ).—दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास (विविध) नियम, 1959 के नियम (4) के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से दि.वि.प्रा. में निदेशक (वित्त) के पद की भर्ती की पद्धति को नियमित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है :-

दिल्ली विकास प्राधिकरण में निदेशक (वित्त)के पद के भर्ती विनियम

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभन–

(i) निम्नलिखित अनुसूची में दिये गये इन विनियमों को दिल्ली विकास प्राधिकरण में निदेशक (वित्त) के भर्ती विनियम–2006 (संशोधित) कहा जाएगा ।

(ii) ये विनियम, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उनके अनुमोदन की तिथि से लागू होंगे ।

2. निरर्हता – कोई भी ऐसा व्यक्ति–

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो, जिसकी पत्नी/पति जीवित हो अथवा

(ख) जिसने अपनी पत्नी/पति के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो ।

वह उक्त किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

55/c

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार यदि इस बात से संतुष्ट हो कि वह विवाह उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के अंतर्गत अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, तो वह उस व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

3. **शिथिल करने की शक्ति–**

जब अध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वे लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके किसी श्रेणी अथवा व्यक्तियों के वर्ग अथवा पदों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकते हैं ।

4. इन नियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों को मिलने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।

अनुसूची

1.	पद का नाम	निदेशक (वित्त)
2.	पदों की संख्या	तीन
3.	वर्गीकरण	समूह 'क'
4.	वेतनमान	12000–375–16500/–रुपये
5.	क्या चयन पद है अथवा अचयन पद	चयन
6.(क)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
(ख)	क्या सेवा में जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत देय है ?	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ पदोन्नत और प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी ?	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	शून्य
10.	भर्ती की पद्धति–सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा
11.	पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती किये जाने के मामले में	पदोन्नति– उन उप मुख्य लेखाधिकारियों से, जिन्होंने ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो । प्रतिनियुक्ति– ऐसे अधिकारियों से, जो भारतीय लागत लेखा सेवा/

54/c

		भारतीय सिविल लेखा सेवा/भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा अथवा भारत सरकार की अन्य संगठित लेखा सेवा में समान पद पर कार्यरत हों ।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन क्या है ।	वरिष्ठ स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे— वित्त सदस्य – अध्यक्ष मुख्य अभियंता (कोटि नियंत्रण) – सदस्य मुख्य सतर्कता अधिकारी – सदस्य आयुक्त (कार्मिक) – सदस्य सचिव विभागाध्यक्ष – सदस्य, जिन्हें सहयोजित किया जाएगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि – जिन्हें उपाध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाएगा।

[सं. एफ. 7(20)/2006-पी.बी.-1]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(PERSONNEL BRANCH-I)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2006

G.S.R. 538(E).—In exercise of the powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) read with Rule (4) of the Delhi Development (Misc.) Rules, 1959, the Delhi Development Authority, with the previous approval of Central Government, hereby makes the following Regulations regulating the method of recruitment to the posts of Director (Finance) in the DDA.

1. **Short title and commencement**.—
   - (i) These Regulations as given in the schedule placed below may be called the Recruitment Regulations of Director (Finance) in Delhi Development Authority-2006 (Revised).
   - (ii) These Regulations shall come into force with effect from the dates of their approval by the Delhi Development Authority.

2. **Disqualifications**.—No Person
   - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or
   - (b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person

   shall be eligible for appointment to any of the said post

53/c

Provided that the Central Government may , if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

3. **Power to relax.—**

Where the Chairman, Delhi Development Authority, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may be by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

4. **Saving.—**

Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Casts, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1.	Name of Post	Director(Finance)
2.	No. of posts	Three
3.	Classification	Group A
4.	Scale of Pay	Rs.12000-375-16500/-
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	(a) Age limit for direct recruits (b) Whether benefit of any added years of service admissible under Rule 30 of CCS(Pension)Rules 1972	Not applicable Not applicable
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not applicable
8.	Whether age and educational qualifcations prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees and deputationists	Not applicable
9.	Period of probation, if any	Nil
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by transfer on deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	By promotion, failing which by transfer on deputation.

52/c

11.	In case of recruitment by promotion/ transfer/deputation is to be made	Promotion. From such of the Dy.CAOs who have put in 5 years of regular service in the grade. Deputation. From such of the officers belonging to Indian Costs Accounts Service/Indian Civil Accounts Service/ Indian Audit and Accounts Service or other organized Accounts Services of Govt. of India holding analogous posts.
12.	If a DPC exists what is its composition.	Senior level Departmental Promotion Committee comprising of:- Finance Member- Chairman; Chief Engineer(QC)- Member; Chief Vigilance Officer-Member; Commission(Personnel)-Member Secretary; Head of the Deptt.- Member to be co-opted; Representative of SC/ST -To be nominated by Vice-Chairman

[No. F. 7(20)/2006-PB-I]

V. M. BANSAL, Pr. Commissioner-cum-Secy.

1781 GI/06-2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

51/c

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 533] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 1, 2006/कार्तिक 10, 1928
No. 533] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 1, 2006/KARTIKA 10, 1928

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(कार्मिक शाखा-I)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2006

सा.का.नि. 685(अ).— दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास (विविध) नियम, 1959 के नियम (4) के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से दि.वि.प्रा. में उप मुख्य लेखाधिकारी/उप वित्त सलाहकार (आवास) के पद को भर्ती की पद्धति को नियमित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है :–

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभन :–

(i) निम्नलिखित अनुसूची में दिये गये इन विनियमों को दिल्ली विकास प्राधिकरण में उप मुख्य लेखाधिकारी/उप वित्त सलाहकार (आवास) के भर्ती विनियम–2006 (संशोधित) कहा जाएगा ।

(ii) ये विनियम, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उनके अनुमोदन की तिथि से लागू होंगे ।

2. निरर्हता – कोई भी ऐसा व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो, जिसकी पत्नी/पति जीवित हो अथवा

(ख) जिसने अपनी पत्नी/पति के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो ।

वह उक्त किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार यदि इस बात से संतुष्ट हो कि वह विवाह उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के अंतर्गत अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, तो वह उस व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

50/c

3. शिथिल करने की शक्ति :

जब अध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वे लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके किसी श्रेणी अथवा व्यक्तियों के वर्ग अथवा पदों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकते हैं ।

4. बचाव :

इन नियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों को मिलने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।

अनुसूची

1.	पद का नाम	उप मुख्य लेखाधिकारी/उप वित्त सलाहकार (आवास)
2.	पदों की संख्या	20
3.	वर्गीकरण	समूह क
4.	वेतनमान	10000–325–15200/–रुपए
5.	क्या चयन पद है अथवा अचयन पद	चयन
6.	(क) विभागीय उम्मीदवारों/प्रतिनियुक्ति के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
	(ख) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	40 वर्ष
	(ग) क्या सेवा में जोड़े गए किन्हीं वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत देय है ?	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ	शैक्षिक/व्यावसायिक योग्यता : सी.ए. अथवा आई.सी. डब्ल्यू.ए. अनुभव : लेखाकारिता/वित्त/लागत निर्धारण के क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव ।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ पदोन्नत और प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी ?	आयु – नहीं शैक्षिक/व्यावसायिक योग्यता केवल नीचे मद 10 के पैरा (ख) में निर्दिष्ट 30 प्रतिशत पदों की पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती करने के संबंध में लागू होगी ।
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	2 वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति-सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	(क) पदोन्नति द्वारा 70 प्रतिशत पद (ख) सी.ए. अथवा आई.सी.डब्ल्यू.ए. शैक्षिक योग्यता वाले विभागीय उम्मीदवारों से पदोन्नति द्वारा 30 प्रतिशत पद जिनके न मिलने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों द्वारा न भरे जाने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

49/c

11. पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड, जिनसे पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की जानी है ।	पदोन्नति : (क) 70 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति हेतु : उन वरिष्ठ लेखाधिकारियों से जिनकी वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं लेखाधिकारी के रूप में पांच वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा हो । (ख) व्यावसायिक रूप से योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 30 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति हेतु : सी.ए. अथवा आई.सी.डब्ल्यू.ए. योग्यता वाले उन वरिष्ठ लेखाधिकारियों से जिनकी वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं लेखाधिकारी के रूप में पांच वर्ष की नियमित सेवा हो, उनके नहीं मिलने पर सी.ए. अथवा आई.सी.डब्ल्यू.ए. योग्यता वाले उन लेखाधिकारियों से, जिनकी ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा हो तथा दोनों के नहीं मिलने पर, सी.ए. अथवा आई.सी.डब्ल्यू.ए. योग्यता वाले सहायक लेखाधिकारियों से, जिनकी ग्रेड में आठ वर्ष की सेवा हो । प्रतिनियुक्ति : ऐसे अधिकारियों में से, जो मूल संवर्ग/विभाग में केन्द्रीय/राज्य सरकारों/स्वायत्त निकायों के अधीन सदृश पदधारी हों अथवा जिनकी 8000–13500/–रुपए के वेतनमान में कम से कम पांच वर्ष की सेवा हो तथा जिनके पास सी.ए. अथवा आई.सी.डब्ल्यू.ए. योग्यता हो ।
12. यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन क्या है ?	वरिष्ठ स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे–

वित्त सदस्य	अध्यक्ष
मुख्य अभियंता (कोटि नियंत्रण)	सदस्य
मुख्य सतर्कता अधिकारी	सदस्य
आयुक्त (कार्मिक)	सदस्य सचिव
मुख्य लेखाधिकारी	सदस्य, जिन्हें सहयोजित किया जाएगा ।
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि	जिन्हें उपाध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाएगा ।

[सं. एफ. 7(32)/2006–पीपी–I]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

48/c

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Personnel Branch-I)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st November, 2006

G.S.R. 685(E).—In exercise of the powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) read with Rule (4) of Delhi Development (Misc.) Rules, 1959, the Delhi Development Authority, with the previous approval of Central Government, hereby makes the following Regulations regulating the method of recruitment to the post of Dy. Chief Accounts Officer/Dy.FA(H) in DDA.

1. **Short title and commencement**:-

(i) These Regulations as given in the schedule placed below may be called the "Recruitment Regulations of Dy. Chief Accounts Officer/Dy.FA(H) in Delhi Development Authority-2006(Revised).

(ii) These Regulations shall come into force with effect from the date of its approval by the Delhi Development Authority.

2. **Disqualifications** – No person

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to any of the said post

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

3. **Power to relax** :

Where the Chairman, Delhi Development Authority, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

4. **Saving** :

Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Casts, the Scheduled Tribes, the other Backward classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

47/c

SCHEDULE

1.	Name of Post	Deputy Chief Accounts Officer/Deputy Financial Advisor(Housing)
2.	No.of posts	20
3.	Classification	Group A
4.	Scale of Pay	Rs.10000-325-15200/-
5.	Whether selection Post or non Selection Post	Selection
6.	a) Age limit for Departmental Candidates /Deputation	Not Applicable
	b) Age limit for Direct Recruit	40 years
	c) Whether benefit of any added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension)Rules 1972	Not applicable
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Educational/Professional Qualification: CA or ICWA Experience: Minimum 05 years of working experience in the field of Accountancy/Finance/ Costing.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees and deputationists	Age No Educational/Professional Qualification Will be applicable only in regard to filling up by promotion/deputation of the 30% posts referred to at para (b) in item 10 below.
9.	Period of probation if any	2 years
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by transfer on deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods	a) 70% of the posts by promotion. b) 30% of the posts by promotion from departmental candidates possessing CA or ICWA Professional qualification, failing which by deputation and failing both by direct recruitment.
11.	In case of recruitment by promotion/transfer/ deputation grades from which promotion/ transfer/ deputation is to be made	Promotion: a) For promotion against 70% posts : From Senior Accounts Officers with Five years of combined regular service as Sr.AO & AO

3432 GI/06-2

46/c

		b) For promotion against 30% posts reserved for professionally qualified professionals. From Senior Accounts Officers with five years of combined service as Sr.AO and AO possessing CA or ICWA qualification, failing which from Accounts Officers with 5 years of service in the grade possessing CA or ICWA qualification and failing both from Asstt. Accounts Officers with eight years of service in the grade possessing CA or ICWA qualification. Deputation: From such of the officers holding analogous posts under Central/State Governments/ Autonomous Bodies in the parent cadre/department or with minimum five years service in the pay scale of Rs.8000-13500/- having qualification of CA or ICWA.
12.	If a DPC exists what is its composition	Senior level Departmental Promotion Committee comprising of:- Finance Member – Chairman Chief Engineer(QC)-Member Chief Vigilance Officer-Member Commissioner(Personnel) – Member Secretary Chief Accounts Officer - Member (to be co-opted) Representative of SC/ST - To be nominated by Vice Chairman

[No. F. 7(32)/2006-PB-I]

V. M. BANSAL, Pr. Commissioner-cum-Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

45/c

No.K-11011/19/2017-DDII
Government of India
Ministry of Housing and Urban Affairs
(Delhi Division)
*****

आयुक्त कार्मिक
डायरी नं...49...M
दिनांक.01/10/19

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated the 25th September, 2019

To

Shri Rajiv Gandhi,
Commissioner (Personnel),
Delhi Development Authority,
Vikas Sadan, INA,
New Delhi.

उप निदेशक (का.)-I
डायरी लिपिक सं. 43 (Min)
दिनांक 4.10.19

Diary No. 4084
Date 03.10.19
Director (Personnel)-I

Sub: Notifications for the posts of Accounts Officer and Sr. Accounts Officer in DDA- reg.

Sir,

I am directed to forward a copy of the Gazette Notification No. K-11011/19/2017-DDII dated 16.09.2019 regarding Recruitment Rules for the posts of Accounts Officer and Sr. Accounts Officer for necessary action.

Encl. As Above.

Yours faithfully,

25.9.19
(V.K. Kushwaha)
Under Secretary to the Government of India
Tel: 011-23063401

Copy for information to:
1. Sr. PPS to AS (D)
2. PS to DS (DD)

44/c

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली,16 सितम्बर, 2019

सा.का.नि.286.—केन्द्रीय सरकार; दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ परामर्श के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में ज्येष्ठ लेखा अधिकारी और लेखा अधिकारी के पदों की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण (ज्येष्ठ लेखा अधिकारी, और लेखा अधिकारी पद) भर्ती नियम, 2019 है।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **प्रारंभिक गठन.**—(1) ज्येष्ठ लेखा अधिकारी और लेखा अधिकारी के पदों को धारण करने वाले ऐसे पदधारी, जो दिल्ली विकास प्राधिकरण के संकल्प संख्या 106, तारीख 4 सितंबर, 1976 और संशोधित संकल्प संख्या 171, तारीख16 दिसंबर, 1993 द्वारा उक्त पदों पर नियमित आधार पर इन नियमों के लागू होने से पहले नियुक्त हुए थे, को इन नियमों के अंतर्गत उक्त पदों पर नियुक्त समझा जाएगा।

(2) इन नियमों के प्रारंभ होने से पहले उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अधिकारी की सेवा में परिवीक्षा, पुष्टिकरण , वरिष्ठता, प्रोन्नति और पेंशन के प्रयोजन के लिए नियमित निरंतर सेवा को गिना जाएगा।

3. **लागू होना .**— ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।
4. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
6. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,-

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

वह उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है की ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और दिल्ली विकास प्राधिकरण से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत , आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
8. **व्यावृति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

43/c

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.ज्येष्ठ लेखा अधिकारी	50*(2019) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	समूह 'ख'	स्तर -10 (56,100-1,77,500/-रु)	अचयन	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा अथवा प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती किए जाने के मामले में वह श्रेणी, जिससे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाना है	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स (53,100-1,67,800/-रु) के स्तर 9 में ऐसा लेखा अधिकारी जिसने श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की हो। **टिप्पण-** जहां कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में, जिन्होंने अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली हो, के मामले में प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के मामलों पर भी विचार किया जाएगा परन्तु उनकी अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा इस प्रकार की अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें जो भी कम हो, से कम न हों और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने इस प्रकार की अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	**समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल होंगे:-** 1. आयुक्त (कार्मिक), दिल्ली विकास प्राधिकरण – अध्यक्ष; 2. मुख्य लेखा अधिकारी, दिल्ली विकास प्राधिकरण – सदस्य 3. अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि (जिन्हें उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नामित किया जाएगा) - सदस्य ; 4. निदेशक (कार्मिक), दिल्ली विकास प्राधिकरण – सदस्य।	लागू नहीं होता

42/c

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.लेखा अधिकारी	12* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'ख'	स्तर-9 (53,100-1,67,800/- रुपये)	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	66.67% प्रोन्नति द्वारा और 33.33% प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स (47,600-1,51,100/-रु) के स्तर - 8 में ऐसा सहायक लेखा अधिकारी जिसने श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो। **टिप्पण -** जहां कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में, जिन्होंने अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली हो, के मामले में प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के मामलों पर भी विचार किया जाएगा परन्तु उनकी अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा इस प्रकार की अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें जो भी कम हो, से कम न हों और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों , जिन्होंने इस प्रकार की अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति:** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या कानूनी संगठन के अधिकारी: (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के बाद सहायक लेखा अधिकारी के श्रेणी में स्तर -8 में वेतन मैट्रिक्स (47,600-1,51,100/- रुपये) में पांच वर्ष की नियमित सेवा हो।	**समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने हेतु) में निम्नलिखित शामिल होंगे:-** 1. आयुक्त (कार्मिक), दिल्ली विकास प्राधिकरण –अध्यक्ष; 2. मुख्य लेखा अधिकारी, दिल्ली विकास प्राधिकरण – सदस्य 3. अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि (जिन्हें उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नामित किया जाएगा) – सदस्य 4. निदेशक (कार्मिक), दिल्ली विकास प्राधिकरण – सदस्य	लागू नहीं होता

41|c

टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के निए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने के अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधा पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे ।		

[फा सं.के-11011/19/2017-डीडी-II]

वी.के. कुशवाहा, अवर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

New Delhi, the 16th September, 2019

G.S.R. 286.— In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 56 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Central Government, after consultation with the Delhi Development Authority, herewith, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Accounts Officer and Accounts Officer in the Delhi development Authority, Ministry of housing and Urban Affairs, namely: -

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Housing and Urban Affairs, Delhi Development Authority (Senior Accounts Officer and Accounts Officer Posts) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

2. **Initial constitution.**— (1) The incumbents holding the posts of Senior Accounts Officer and Accounts Officer who were appointed *vide* the Delhi Development Authority's resolution number 106, dated 4th September, 1976 and modified resolution number 171, dated 16th December, 1993 on the regular basis to the said posts before the commencement of these rules, shall deemed to have been appointed to said posts under these rules.

(2) The regular continuous of officer referred to in sub- rule (1) before the commencement of these rules shall count for the purpose of probation, confirmation, seniority, promotion and pension in the service.

3. **Application.**— These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Number of post, classification, level in the pay matrix.**—The number of posts, their classification, level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said schedule.

5. **Method recruitment, age- limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

6. **Disqualification.**—No person, -

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said posts:

401C

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Power to relax.**— Where the Central government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by an order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Delhi Development Authority, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category or persons or posts.

8. **Savings.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-Limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Senior Accounts Officer	50*(2019) *(Subject to variation dependent on workload)	Group 'B'	Level-10(Rs.56,100 – 1,77,500/-)	Non-selection	Not applicable

Educational and other Qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Accounts Officer in the grade in level-9 in pay matrix (Rs. 53,100-1,67,800/-) with two years of regular service in the grade. Note. – Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with	**Group 'B' departmental promotion committee (for considering promotion) consisting of: -** 1. Commissioner(Personnel), Delhi Development Authority - Chairman; 2. Chief Accounts Officer, Delhi Development Authority - Member; 3. A representative of Schedule Castes or Schedule Tribes (to be nominated by Vice Chairman, Delhi Development Authority - Member; 4. Director (Personnel), Delhi Development Authority - Member	Not applicable.

३९/c

their juniors who have completed such qualifying or eligibility service.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Accounts Officer	12* (2019) *(Subject to variation dependent on workload.)	Group 'B'	Level-9 (Rs.53,100-1,67,800/-)	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	66.67% by promotion and 33.33% by deputation

(11)	(12)	(13)
Promotion: Assistant Accounts Officer in level-8 in pay matrix (Rs. 47,600-151,100/-) with five years' of regular service in the grade. **Note.** – Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less,and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers of the Central Government or state Government or Union territory Administration or statutory organization : (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' regular service in the grade of Assistant Account Officer in level-8 in pay matrix (Rs.47,600-1,51,100/-) rendered after appointment thereto in the parent cadre or department. Note 1. – The period of deputation including the period of deputation in another ex- cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceeding three years. The maximum shall be not exceeding fifty –six years as on the closing date of the receipt of application. Note 2. – The official in feeder category	**Group 'B' departmental promotion committee (for considering promotion) consisting of: -** 1. Commissioner(Personnel), Delhi Development Authority - Chairman; 2. Chief Accounts Officer, Delhi Development Authority - Member; 3. A representative of Schedule Castes or Schedule Tribes (to be nominated by Vice Chairman, Delhi Development Authority - Member; 4. Director (Personnel), Delhi Development Authority - Member	Not applicable

38/c

who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		

[F. No. K-11011/19/2017-DD-II]

V.K. KUSHWAHA, Under Secy.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 287.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद **309** के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग में असांविधिक विभागीय कैंटीन में समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भारत निर्वाचन आयोग, असांविधिक विभागीय कैंटीन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना.—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स का स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. आरंभिक गठन.—ऐसे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को नियमित आधार पर अनुसूची में उल्लिखित पद धारण कर रहे है, इन नियमों के अधीन नियुक्त किए गए समझे जाएंगे और उक्त पद पर उक्त प्रारंभ के पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि, ज्येष्ठता, पेंशनिक फायदे और पात्रता का विनिश्चय करने के लिए गणना की जाएगी ।

5. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

6. निरर्हता.—वह व्यक्ति,--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

37/c

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 610] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 19, 2013/अग्रहायण 28, 1935

No. 610] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 19, 2013/AGRAHAYANA 28, 1935

शहरी विकास मंत्रालय

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(कार्मिक शाखा-1)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2013

सा.का.नि. 786(अ).— दिल्ली विकास (विविध) नियम, 1959 के नियम 3 के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण/एतद्द्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से सहायक लेखा अधिकारी के पद के भर्ती विनियम में संशोधन करता है।

सहायक लेखा अधिकारी, दिल्ली विकास प्राधिकरण के पद हेतु भर्ती विनियम

क्रम सं0	भर्ती नियमों का मानक प्रारूप/कॉलम	सहायक लेखा अधिकारी, दि.वि.प्रा. के विद्यमान भर्ती नियमों में प्रावधान	सहायक लेखा अधिकारी, दि.वि.प्रा. हेतु भर्ती विनियमों में प्रस्तावित संशोधन के प्रावधान
1	2	3	4
1.	पद का नाम	सहायक लेखा अधिकारी	सहायक लेखा अधिकारी
2.	पदों की संख्या	166 (132 + 34)	166 (132 + 34) (कार्यभार के आधार पर अंतर आ सकता है)
3.	वर्गीकरण	समूह-'ख'	समूह 'ख'
4.	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	2000-60-2300-द.रो.-75-3200 रुपए	9300-34800 रु. (+) 4800 रु. ग्रेड वेतन
5.	क्या चयन पद है अथवा अचयन पद	अचयन	अचयन

5316 GI/2013

			रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो। वह उक्त किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण, यदि इस बात से संतुष्ट हों कि वह विवाह उस व्यक्ति एवं विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के अंतर्गत अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी हैं तो वह उस व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं।
16.	शिथिल करने की शक्ति	जब अध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है तो वे लिखित में कापी करके किसी भी श्रेणी अथवा व्यक्तियों के वर्ग अथवा पदों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकते हैं।	कोई परिवर्तन नहीं।

[सं. एफ 7(65)2012/पी.बी.–1/दि.वि.प्रा./4343]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Personnel Branch-I)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2013

G.S.R.786(E).—In exercise of the powers conferred by Section-57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) read with rule 3 of the Delhi Development (Miscellaneous) Rules, 1959, the Delhi Development Authority with the previous approval of the Central Government, hereby amends the Recruitment Regulations for the post of Assistant Accounts Officer as given under:

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF ASSISTANT ACCOUNTS OFFICER, DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

Sl. No.	Standard format/col. RR	Provision in the existing RRs of AAO, DDA	Proposed modification provision in the existing RRs for AAO, DDA
1	2	3	4
1.	Name of Post	Assistant Accounts Officer	Assistant Accounts Officer
2.	Number of Post	166 (132 + 34)	166 (132 + 34) (Subject to variation dependent on work load)
3.	Classification	Group-'B'	Group-'B'
4.	Pay Band & Grade Pay	Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200	Rs. 9300-34800 (+) Grade Pay Rs. 4800
5.	Whether Selection Post or Non-Selection Post	Non Selection	Non Selection

351

6.	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.	Not applicable	Not applicable
7.	Age Limit for direct recruits	Not applicable	Not exceeding 30 years
8.	Educational and other Qualifications required for direct recruits.	Not applicable	Qualification CA / CS / ICWA / Master in Financial Control/ MBA (Finance) or equivalent.
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees & deputationists.	Not applicable	Not applicable
10.	Period of probation, if any	Two years	Two years
11.	**Method of recruitment**, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	By promotion :	75% By Limited Departmental examination - failing which by transfer on deputation failing both by direct recruitment 25% by Direct recruitment
12.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grade from which promotion /deputation/ absorption is to be made.	Promotion By promotion from Accountants who have qualified DDA Accounts service examination and have three years of regular service in the grade.	Promotion : Such of the DDA employees who qualify DDA Accounts Service Examination to be conducted in two Parts, within the LDCs with 3 years regular service in the grade and possessing minimum qualification of graduation from a recognized university. and UDC, Assistant and Stenographers with a minimum of 3 years service in these grades in DDA would be eligible for the test. Deputation : From such of the officers holding analogous posts in the parent Cadre/Department under Central/State Government/Government Autonomous bodies.
13.	If a DPC exists, what is its composition	Group – 'B' DPC	Not applicable
14.	Saving	Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government/Delhi Development Authority from time to time in this regard.	No change
15.	Disqualification	No person who has entered into or	No person

34/c

		contract of a second marriage when his/her spouse is alive.	(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or (b) who having spouse living has entered into or contracted a marriage with any person Shall be eligible for appointment to any of the said post Provided that the Central Government/Delhi Development Authority may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.
16.	Power to relax	Where the Chairman, Delhi Development Authority, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.	No change

[No. F. 7(65)/2012/PB-I/DDA/4343]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.

5316GI/13-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.